ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **26 November, 2020**

Prof. Gourav Vallabh, Spokesperson, AICC addressed media via video conferencing, today.

प्रो. गौरव वल्लभ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज 26 नवंबर, देश में हम राष्ट्रीय संविधान दिवस के रुप में मना रहे हैं। इस संविधान में क्या किसानों को, उन व्यक्तियों जिनकी उपज पर देश अपना पेट पालता हो, उनको क्या सरकार ने देश की राजधानी में आने का अधिकार नहीं दे रखा है? उस संविधान में क्या सरकार के ऊपर ये दायित्व लगाया गया है कि जब किसान अपनी मांग के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली आएं, तो उनके ऊपर इस सर्दी में पानी बरसाया जाए, लाठियां बरसाई जाएं, आंसू गैस के गोले छोड़ें जाएं, क्या ये संविधान में लिखा गया है?

आज प्रधानमंत्री जी जब पिठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि केवाईसी का मतलब होता है, Know Your Constitution. आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान हमारे देश के लोंगों के लिए हैं, we, the people of India, We, the people of India का सबसे ठोस स्तंभ है, भारत का किसान और भारत के किसान को आप उनकी आवाज सुनने के लिए उनको दिल्ली तक आने नहीं देना चाहते। उनको राज्यों के बार्डर पर रोक-रोक कर उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। देश की बड़ी-बड़ी पुलिस की कंपनियां वहाँ बॉर्डर पर तैनात करके उनको आने नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा संविधान है? संविधान में तो किसानों के लिए विशेष उनको एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और आप उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

किसान क्या बात सुनाना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई बार हमने इस पर बात की, वो बात क्या सुनाना चाहते हैं- वो ये सुनाना चाहते हैं कि भारत की सरकार उनकी जो उपज है, उनकी एमएसपी कहाँ से मिलेगा, कौन से दफ्तर में जाकर मिलेगा, कौन व्यक्ति है जो उनको ये देगा, क्योंकि ये जो आपने एपीएमसी एक्ट को बाईपास करने का जो काला कानून संसद में लेकर आए, कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी इसका विरोध किया, पर हमारे सांसदों को आपने सदन से ही निकलवा दिया। उनको सदन से संस्पेंड कर दिया। मैं सरकार से हाथ जोडकर कहना चाहता हूं, अन्नदाता किसान की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे सांसदों को तो सदन से सस्पेंड कर सकते हैं, आप किसान पर दिल्ली आने पर बॉर्डर पर उनके ऊपर लाठियां बरसा सकते हैं, पर उनकी आवाज आप नहीं कुचल सकते।

किसान बार-बार पूछ रहा है कि इन काले कानूनों के माध्यम से आप हिंदुस्तान के किसान की खेती को अपने सूट-बूट के दोस्तों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? वो बार-बार आपसे पूछ रहा है कि एंसेशियल कमोडिटी एक्ट में फेरबदल करके क्यों आप जो बिचौलिए हैं, उनको 100 प्रतिशत तक का मुनाफा देना चाहते हैं? क्योंकि 100 प्रतिशत के प्राईस एप्रिसिएशन तक तो सरकार इंटर फेयर ही नहीं करेगी। ये अन्नदाता पूछ रहा है, इसकी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है देश में, वो दो एकड़ में है। आप क्या अपेक्षा

करते हैं कि वो अन्नदाता जिसकी लैंड होल्डिंग ऑन एंड एवरेज दो एकड़ है, वो आपको सूट-बूट के दोस्तों के साथ प्राईस नेगोसिएशन कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। आप किसान की उपज को औने-पौने दाम में अपने सूट-बूट के दोस्तों के हवाले करने का जो काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को आप कुचल नहीं सकते और आज ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस में किसानों को दिल्ली आने से रोकना, मुझे लगता है कि ये केवाईसी नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी, ये तो आप संविधान की पहली लाइन ही नहीं पढ़ पाए, जिसमें We, the people of India लिखा हुआ है। उसमें किसान को दिल्ली आने से किसी संविधान के किसी पैरा में नहीं रोका गया है। आप उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं, अरे ये तो वो लोग हैं जो पानी से धरती का सीना चीर कर आपका, मेरा और करोंड़ो देशवासियों का पेट भरते हैं। वो पानी की बौछारों से डरने वाले लोग नहीं हैं।

कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज इस मुश्किल घड़ी में भारत के किसान और मजदूरों के साथ खड़ा है। आज हम किसान के कदम से कदम मिलाकर सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्यों आप एपीएमसी एक्ट को बाईपास करके किसानों को एमएसपी से मरहूम करना चाहते हैं? हम कदम से कदम मिलाकर ये पूछना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लाकर आप हिंदुस्तान की खेती को क्यों अपने सूट-बूट के दोस्तों के हवाले करना चाहते हैं? हम कदम से कदम मिलाकर पूछना चाहते हैं किआपने 2006 में ऐसा ही काम बिहार में किया था, आज बिहार के किसानों की क्या दुर्दशा है, वो आप देख सकते हैं। बिहार में जो धान की एमएसपी है, वो 2,100 से 2,200 रुपए के बीच में धान की एमएसपी है और किसान वहाँ 1,100 रुपए से 1,200 रुपए गेहूं प्रति क्विंटल में अपना धान बेचता है। आप कांन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप एंसेशियल कमोडिटी एक्ट, आप एमएसपी से वंचित करने के किसान विरोधी काले कानून हैं, किसान को आप दबा नहीं सकते हैं। इनको लाठियों के दम पर, वॉटर कैनन के दम पर, आंसू गैस के दम पर किसानों की आवाज को, मजदूर की आवाज को रोका नहीं जा सकता है।

ये विशेष प्रेस वार्ता इसलिए हमने आय़ोजित की थी। इस समय हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान आज सड़क पर हैं, वो सरकार की लाठियां खा रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के किसान के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से खड़ा है। सरकार ने बातें तो बहुत की सरकार ने, बातें की 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। मैं आप सब लोगों को दो-तीन आंकड़े दूंगा और उसके बाद आपके प्रश्न लूंगा।

यूपीए-2 के दौरान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑन एंड एवरेज रेट 4.3 प्रतिशत थी और मोदी जी का जो पहला कुशासन था, उस दौरान किसानों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट केवल 3.1 प्रतिशत थी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से आपने तो वायदा किया था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, ऑन रिकोर्ड कह रहा हूं कि 14 साल की एग्रीकल्चर इंकम में सबसे जो लोएस्ट वृद्धि है वो 2018-19 में हुई है। ऑन रिकोर्ड ये डेटा बोल रहा है। मैं अब कहना चाहता हूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो उनकी प्राईस थी, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, उसमें 18 साल की लोएस्ट वृद्धि हुई है 2018-19 में। आप बोलेंगे 2020-21 का डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वो सरकार है जो डेटा को रोकती है, किसान को रोकती है, मजदूर की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। जब हमारे नेता, जब कोई बच्ची के साथ गलत हादसा हो जाता है हाथरस में, हमारे नेता जब सड़क पर जाते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां भांजने का प्रयास करती है, पर कांग्रेस पार्टी ना तो कभी लाठियों से ड़री है और ना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के किसान के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उससे पहले एक बार भी सोचता है।

आज अन्नदाताओं के इशू का मामला है, मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि इस तरह से राजधानी में आने से किसान को जो रोकने का जो गलत काम भारत सरकार कर रही है, उसको तुरंत रोका जाए। उनकी आवाज को सुना जाए, संसद में जिस तरह से आपने काले कानून पास किए, विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड करके, वो संवैधानिक नहीं था। किसान को दिल्ली आने से रोकना संवैधानिक नहीं है और उनके ऊपर लाठियां भांजना, उनके ऊपर वो व्यक्ति हमारा पेट पालता है, जो हमारे लिए अपना खून-पसीना एक करता है, उसके ऊपर आप ठंड के मौसम में पानी की बौछार करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा निर्दयता पूर्ण, इससे ज्यादा खराब व्यवहार हिंदुस्तान के किसान के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा।

तो यही मेरा आज का थीम था।

Prof. Gourav Vallabh said- BJP Government apathetic to farmers' rights after mortgaging them to their corporate friends

Today marks a black day in history due to several reasons. It is highly unfortunate and denigrating that present government is dedicated to only protecting the rights of a few. Today, around 62 crore farmers and 250 farm organizations from all over the country are protesting against the draconian farm bills but the present BJP government is hell bent on suppressing the genuine demands and concerns of the farmers. On the eve of Constitution day, farmers have been stopped from entering Delhi with force too in a number of instances. Does the constitution not guarantee rights for our farmers? Has the BJP government reserved the rights only for their privileged friends only?

The BJP government had promised to double farmer income by 2022. But the fact remains that the situation of the farmers has worsened in the BJP tenure. Agricultural incomes fell to a 14 year low in 2018-19 and Agricultural products witnessed the worst price slump in 18 years the same year. Now, BJP is hatching a cruel conspiracy to mortgage agriculture and agricultural land in the hands of crony capitalists. We have been opposing the bills vehemently since the time they were introduced. Summarizing our concerns once again:

▪ The three Ordinances pave the way for dismantling the Minimum Support Price (MSP) regime. The Ordinances have provisions which have an overriding effect on the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) and MSP regime

▪ Abolishing the system of Grain Market-Vegetable Market i.e. APMC will totally destroy the 'Agriculture Produce Procurement System'. In such a scenario, the farmers will neither get the 'Minimum Support Price' (MSP) nor the price of their crop as per the market price. How does the government Guarantee MSP to the farmers? Is the government even determined to ensure rights of farmers are protected?

▪ As per the agriculture census 2015-16, in our country the average land holding is 2 acres or less than that, with such low land holding by farmers, how does the government expect the farmers to understand, structure and negotiate contracts

with big corporate houses? Is the Government not leaving the farmers to be exploited by the corporates through forcing them for contract farming?

▪ Totally lifting the stock limit on the agriculture produce, consumable items and fruit-flower-vegetables shall neither benefit farmers nor the consumer. It will only benefit a handful of people indulging in hoarding and black marketing.

We have 3 specific questions for the government:

1. Who has this government sworn in to protect? Does it only value its rich corporate friends? Why does it choose to so conveniently ignore the sweat and tears of our farmers?

2. Which constitution is the BJP government following? When the farmers reach out for their rights, they are suppressed, why is the government so scared of the farmers?

3. Why is the government not willing to engage and hold discussions with the farmers?

एक प्रश्न पर कि एक ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार आमने सामने है, खट्टर सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि पंजाब की सरकार किसानों को भड़का रही है और यही वजह है कि किसान आज सड़क पर हैं, किस तरह से कांग्रेस इसे देखती है? दूसरा, केन्दीय मंत्री कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को किसानों से बात करेंगे? प्रो. गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि जो बात 3 दिसंबर को हो सकती है वो 26 नवंबर को क्यों नहीं हो सकती? क्या 3 दिसंबर को ऐसा कोई मुहुर्त है कि उसी दिन किसानों से बात की जा सकती है? आज से अच्छा दिन क्या हो सकता था, जब पूरा देश राष्ट्रीय संविधान दिवस मना रहा है? आप 62 करोड़ किसानों की आवाज उस दिन नहीं सुन रहे हैं। आज से पवित्र दिन क्या हो सकता था जब किसान खुद आकर अपनी बात कहना चाहता है, तो आप उनके ऊपर लाठियां मारते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो काले कानून पिछले दो-तीन महीने से आपने जबरन संसद में पास कराने का काम किया। हमारे सांसदों को आपने सदन से निष्कासित करके उनकी मांग को आपने नहीं सुनकर उनके एज ए मैंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राइट हैं, उनको अनदेखा करके दो बर्ताव किया, उससे ज्यादा संविधान विरोधी बर्ताव नहीं हो सकता है और हम फिर बोलते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक 62 करोड़ हिंदुस्तानियों की, 62 करोड़ किसानों की आवाज कांग्रेस पार्टी बनेगी। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बनेगा।

आपने जो पहला सवाल पूछा ट्विटर वार, मैं ये खट्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि आप तो हरियाणा जो कि हिंदुस्तान के जिस लैंड की प्रोडक्टिविटी देश के अग्रिम राज्यों में आती है, उस राज्य के लोग अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर पंजाब के लोग दिल्ली आना चाहते हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हैं? ये ट्विटर वार मैं तो इतना नहीं समझता, ये तो खट्टर साहब ही समझते होंगे, ट्विटर पर क्या, पर हिंदुस्तान का किसान अपनी उपज के लिए आज खड़ा है, आप अपनी उपज के मूल्य के लिए खड़ा है। वो जो मेहनत करके पैदा करता है, उनके औन-पौने दाम दे रहे हैं, एमएसपी दे नहीं रहे हैं। एमएसपी के नाम पर छलावा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो यूपीए 2 के दौरान थी उससे 1.2

प्रतिशत आज कम हो चुकी है। 18 साल की न्यूनतम वृद्धि हुई है 2018-19 में कृषि उत्पाद में, 14 साल की न्यूनतम आय वृद्धि हुई है 2018-19 में और आज आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। आपको समय नहीं है और उन लोगों से बात करने का समय नहीं हैं, जिन्होंने कोरोना के दौरान भी अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट पाला। जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो खेतों में थे, उन्होंने खेती की और पॉजिटिव 3.4 प्रतिशत की एग्रीकल्चर ग्रोथ आपको दिलाकर दी। जब पूरी इकॉनोमी नीचे गिर रही थी, अगर वो +3.4 प्रतिशत नहीं होती तो भारत की वृद्धि दर -23.9 प्रतिशत न होकर, -40 प्रतिशत होती। उनके साथ आपने क्या बर्ताव किया? कभी बोलता है कि इनको बहलाया जा रहा है। आपसे जो व्यक्ति सवाल पूछता है, अगर छात्र सवाल पूछता है तो कहदो बहलाया जा रहा है। अगर महिलाएं अपने आत्मसम्मान का सवाल पूछती हैं, तो बहलाई जा रही हैं। आपसे अगर किसान सवाल पूछता है तो बहलाया जा रहा है। अरे बहलाया जा रहा है तो आप 3 महीने से उनको सही जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी बात पर किसान को विश्वास क्यों नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री जी के वाक्य पर भारत के किसान को विश्वास नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कई बातें कह दी हैं कि 2022 में आपकी इंकम डबल हो जाएगी। मैं खट्टर साहब से पूछता हूं, हरियाणा का एक किसान अगर वो खुद किसान हैं, तो उनकी आय जरुर डबल, ट्रिपल हो गई होगी। पर हरियाणा का एक किसान मेहनतकश किसान मुझे लाकर बताएं जिसकी आय 2022 में डबल होने की उम्मीद है, मुझे बताएं और कैसे डबल होगी एग्रीकल्चर इंकम से, वो मुझे बताएं? मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूं। हां, उनके आस-पास घुमने वाले लोग हैं, जो किसान नहीं है, जो सिर्फ किसानियत का चोला पहने हैं, उनकी आय डबल क्या 400 गुना भी हो सकती है। देश ने देखा कि किस तरह जो मौजूदा गृह मंत्री हैं, उनके बेटे की आय बढ़ी थी, देश ने देखा है। ऐसा हो सकता है। पर किसान की आय डबल, किसी एक किसान की आय पूरे हरियाणा से होने की उम्मीद हो पूरे पांच साल में 2022 तक, तो बताएं हमें। तो यूं इस तरह से बातों को डॉयवर्ट ना करें, 4 नवंबर को मिलेंगे, 4 दिसंबर को मिलेंगे, 4 जनवरी को मिलेंगे, अरे क्यों, 62 करोड़ लोगों की आवाज सुनने का आपके पास समय नहीं है। जिन लोगों ने आपके ऊपर एतबार करके वोट दिया, उनसे आप बात नहीं करना चाहते हैं। क्या देश की राजधानी सिर्फ सूट-बूट वाले दोस्ट वहाँ हवाई जहाज लेकर उतर सकते हैं, हिंदुस्तान का किसान वहाँ ट्रैक्टर लेकर नहीं आ सकता, अपनी बात सरकार को सुनाने के लिए? ये कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान आज सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार आ जाए और आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे केवाईसी, केवाईसी हमने भी पढ़ा Know your Constitution, इस कॉस्टिट्यूशन की पहली लाइन में लिखा है we, the people, आप तो किसी को मान ही नहीं रहे हैं। 62 करोड़ लोगों को राजधानी में आने ही नहीं देते। क्या ये संविधान में लिखा है कि सरकारों का कर्तव्य है कि किसान दिल्ली नहीं आ सकते, क्या ये संविधान के आर्टिकल में लिखा है क्या और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं?

तो मैंने आपके दोनों सवाल का उत्तर दिया है कि जब किसान आज बात करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के पास उससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता, जब 62 करोड़ लोग अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, तो उससे महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं कि क्यों एग्रीकल्चर मिनिस्टर

के साथ प्रधानमंत्री जी चुप हैं? क्या उनके पास समय नहीं है किसान की बात सुनने के लिए, क्या वो बात नहीं कर सकते, क्या वो नहीं सुन सकते किसान की मजबूरी, क्या वो एशोर नहीं कर सकते लिखित में इन काले कानूनो में कि MSP should be a legal right and this is the clause and have anybody, who is purchasing the agriculture produce from a farmer for a price less than MSP is a criminal offence. ये चीजें क्या नहीं लिखी जा सकती और अगर नहीं लिखी जा सकती तो मैं ये कहता हूं कि ये काले कानून किसानों के लिए नहीं बने हुए, ये कानून सिर्फ सूट-बूट के दोस्तों के लिए बने हुए हैं। ये सिर्फ आपके दोस्तों को किसान की खेती उनके हवाले करने के लिए बने हैं। ये किसानों का रिफॉर्म नहीं हुआ, ये सूट-बूट के दोस्तों के लिए रिफॉर्म हुआ। These three bills are not agriculture reform bills and I am totally agreeing on the fact that these three bills are not for the farmers, these are for the suit boot friends.

एक अन्य प्रश्न पर कि बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में चुनाव है इसलिए किसानों को लड़ाने की राजनीति कांग्रेस सरकार यानि अमरिंदर सिंह की सरकार वहाँ कर रही है, प्रो. वल्लभ ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास देश के 62 करोड़ किसानों का जवाब नहीं हो, वो इस तरह के डायवर्जन की बात करते हैं। आज से तीन महीने पहले जब कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर पर इन तीन काले कानूनों का विरोध किया। जब हिंदुस्तान के किसानों ने सड़क पर आकर विरोध किया तो बोला गया कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। अरे कांग्रेस का आंदोलन है तो भी क्या ये गलत है क्या? इसमें क्या गलती है अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी एमएसपी कहाँ मिलेगी? आपके पास उसका जवाब नहीं है। इसमें क्या गलती है अगर कोई किसान पूछता है कि जिस तरह आपने मंडियों को अपने प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया उसको एमएसपी मिलने के लिए वो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगी, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगी, इन तीनों चीजों का ही तो उत्तर मांग रहा है और आपके मौखिक आश्वासन का हिंदुस्तान के लोग विश्वास नहीं करते। मुझे बहुत दुख है ये बात कहते हुए, गर्व नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं, उस पर हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास नहीं है। क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्तव्य पूर्व में दिए हैं कि ये 15 लाख आ जाएंगे, सौ स्मार्ट सिटी बनेंगे, आप दो करोड़ रोजगारों का सृजन हो जाएगा प्रति वर्ष ऐसे वक्तव्य दिए हैं उन्होंने। पर मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि सवाल का जवाब दीजिए कि एमएसपी देने में आपको क्या कष्ट है। आप क्या पीछे के दरवाजे से शांता कुमार कमेटी के जो प्रस्ताव हैं, उनको क्यों लाना चाहते हो? आप पीछे के दरवाजे से खेती को अपने सूट-बूट के दोस्तों के हवाले क्यों करना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ जब हिंदुस्तान के जो एवरेज लैंड होल्डिंग है किसान की वो दो एकड़ है। अब ये दो एकड़ वाला किसान आपको लगता है कि वो सूट-बूट के दोस्तों के साथ जो टाई के साथ आते हैं, उनके साथ अपनी प्राइस का नेगोशिएट कर सकता है। नहीं कर सकता, उसकी उपज को वो लोग अपने मुंह मांगे दाम में खरीद लेंगे और खरीदने के बाद आपने क्या व्यवस्था की है, आपने ये की कि खरीद लो कम दाम में और आपने पास भंडारण करो क्योंकि मैंने असेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है, जो फल, जो सब्जी, जो उपज, जितनी भंडारण करना चाहो करो, पर जब तक सौ प्रतिशत मुनाफा आपको कोई हैंडल नहीं कर सकता, आपसे कोई सवाल नही पूछा जा सकता। अरे भाई, ये सौ प्रतिशत वाले मुनाफे के उद्योग हम हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए क्यों नहीं हैं। ये सौ प्रतिशत वाले मुनाफे वाले काम किसानों के लिए क्यों नहीं हैं, 62 करोड़ किसानों के लिए? उनको तो 2018-19 में उनकी जो प्राइस एप्रीसिएशन था वो 18 साल का न्यूनतम था, उनकी एग्रीकल्चर इंकम 2018-19 में 14 साल के लोएस्ट वृद्धि हुई है उस साल। वो जो आपने सूट-बूट के दोस्तों को जो प्रिविलेज दी, वो हिंदुस्तान के किसानों को क्यों नहीं? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? ये सवाल

हिंदुस्तान के किसान, दिल्ली आकर सरकार से पूछना चाहते हैं। पर सरकार क्या कर रही है, लाठी मार रही है। उनके ऊपर पानी बरसाओ ठंड में, उनके ऊपर आँसू गैस के गोले छोड़ो। अरे ये वो किसान हैं, जो अपनी मेहनत से धरती का सीना चीरकर आपका और मेरा पेट भरते हैं, वो इन पानी की बौछार से डरने वाले नहीं हैं और वो हर स्तर पर अपनी आवाज पहुँचाएंगे और कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।

एक अन्य प्रश्न पर कि एपीएमसी एक्ट पर तो बिहार में रेफरेंडम हो गया और आप चुनाव हार गए और ग्रामीण अंचलों में बीजेपी और एनडीए को जिस हिसाब से वोट मिले हैं उससे लग नहीं रहा कि आपका ये मामला बिहार वाला जो आप बार-बार रेकअप कर रहे हैं, बेकार है, प्रो वल्लभ ने कहा कि यह सही मुद्दा है। हम तो आपके पास डाटा दे रहे हैं सरकार का ही कि 2006 में बिहार से एपीएमसी को हटाया गया, तो वहाँ की दुर्दशा क्या हुई किसानों की? ये सही मुद्दा है। ये आपने बोला कि रेफरेंडम हो गया, हर मुद्दे का इस तरह रेफरेंडम नहीं होता है। क्या हुआ आपको भी पता है और जो सरकार बनी है और जहाँ हम खड़े हैं, उनमें 12 हजार वोटों का ही अंतर है कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो ये कहना कि वहाँ रेफरेंडम हो गया, मुझे लगता है कि किसानों के साथ ये वाक्या अन्याय करता है। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो आपने एपीएमसी हटाया, वो अगर हटाकर फायदा होता तो बिहार में फायदा क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब मांग रहे हैं। क्यों नहीं बिहार के किसान खुशहाल हुए। 14 साल हो गए एपीएमसी को आपको हटाए। वहाँ तो देश के अन्य भागों के किसानों से बिहार के किसानों की हालत और भी खराब है। वहाँ पर जो किसान हैं, बिहार का किसान आज उत्तर प्रदेश हरियाणा, पंजाब की मंडियों में जाकर अपना धान बेचता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है कि आप जो ये बात बोल रहे हैं, कि एपीएमसी को हटाने से रीफॉर्म हो जाएगा वो गलत है। रही बात रेफरेंडम की, मैं नहीं मानता। रेफरेंडम बहुत कठोर शब्द है। रेफरेंडम मतलब एक तरफा, बिहार में केवल 12 हजार वोटों का अंतर रहा है, मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि आज हम 62 करोड़ किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, पर हर स्तर के किसानों को, देश के लोगों को हम पूछेंगे, उनका सवाल सरकार से पूछेंगे कि अगर एपीएमसी को एवोलिश करने से, बाईपास करने से फायदा होता है तो बिहार में 14 साल में क्यों नहीं हुआ। ये सवाल हम हर स्तर पर पूछेंगे।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC